विज्ञप्ति
कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के चयन हेतु

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–12(2) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा संस्तुत पैनल में से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के कुलपति पद पर नियुक्ति की जानी है। कुलपति पद पर नियुक्त व्यक्ति योगदान की तिथि से तीन (03) वर्ष अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिवर्षता आयु (अधिकतम 65 वर्ष), जो भी पहले हो, तक के लिये पदधारित करेगा।

कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी होता है, अतः उक्त पद हेतु उसे उच्चतम् स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का व्यक्ति होना चाहिए। उसे प्रतिष्ठित विद्वान तथा विश्वविद्यालय पद्धति में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव अथवा समकक्ष स्तर के पद पर किसी ख्याति प्राप्त शोध संस्थान या शैक्षिक प्रशासनिक संस्थान में 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

उक्तानुसार योग्यता रखने वाले तथा आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्तियों को सर्च–कमेटी, के सम्मुख विचारार्थ नामित किये जाने के इच्छुक आवेदक अपना अथवा नामिति व्यक्ति का आवेदन, विस्तृत जीवनवृत्त सहित चार प्रतियों में, डाक द्वारा संयोजक, सर्च–कमेटी द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)–249404 को प्रेषित करें।

आवेदन पत्र में, नाम व पते के साथ–साथ जन्म तिथि/शैक्षिक योग्यता (विश्वविद्यालय के नाम सहित)/शिक्षण कार्य का अनुभव/प्रशासनिक अनुभव/प्रोफेसर के रूप में सेवा अवधि/राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय एवार्ड/प्रकाशन/उल्लेखनीय उपलब्धियाँ, विशिष्ट रूप से उल्लिखित की जानी आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ स्वस्थता प्रमाण पत्र व आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की जाँच संस्थित/लम्बित न होने सम्बन्धी शपथ पत्र/प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

31 मार्च, 2022 के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संयोजक, अन्वेषण समिति
द्वारा– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

<u>ADVERTISEMENT</u>
FOR APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR OF UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar under the UP State University Act, 1973 (as adopted and modified in Uttarakhand) out of a panel to be recommended by a Search Committee, constituted under Section 12(2) of the above-mentioned Act. The Vice-Chancellor shall hold office for term of three (03) years from the date on which he/she assumes the charge of his/her office or till the age of superannuation (i.e. 65 years), whichever is earlier.

As the Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she must be a person of highest level of competence, integrity, with moral and institutional commitment. He/she should be a distinguished academician with a minimum of ten years experience as a Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic/administrative organization.

Those, who are having above mentioned qualifications and interested in applying or nominating other person(s), for consideration by the Search Committee, may send their applications/nominations, along with detailed bio-data in four copies by post to the Convener, Search Committee, C/o Chairman, Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar -249404 (Uttarakhand).

The application, besides name and address, must contain specific information about date of birth/academic qualifications with the name of university/teaching experience, administrative experience, services as a Professor, National/ International awards, publications and noteworthy achievements etc. The application must contain a medical fitness certificate and an affidavit/certificate saying that no enquiry has been set up or pending against the applicant.

The application received after the last date, i.e. 31 March, 2022, will not be entertained.

Convener, Search-Committee
C/o Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar (Uttarakhand)